उत्तराखण्ड शासन

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड–देहरादून।

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत निर्धारित 17 बिन्दु मैनुअल का अध्यावधिक विवरण

अनुक्रमणिका

मैनुअल संख्या	मैनुअल	पृष्ठ संख्या
1	संगठन की विशिष्टियॉ कृत्य और कर्तव्य	1-30
2	अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	31-73
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षक/उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है।	74-111
4	कृत्यों के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	112-113
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	114-115
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण	116-140
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के लिए विद्यमान है	141
8	ऐसे बोर्डो परिषदों समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उनके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुच होगी।	142
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	143-145

10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपवंधित है,	146-149
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	150-234
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के व्यौरे सम्मिलित है।	235-265
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।	266-317
14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	318-319
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण धंटे सम्मिलित है।	320-321
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां	322-323
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए	324-326

मैनुअल –01

संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य

निदेशालय अल्पसख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विभागान्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिये उत्तराखण्ड राज्य में शासनादेश संख्या–1183/XVII3/1107(63)/2006 दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 द्वारा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय प्रशासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–510/XXXI(1)/2002 देहरादून दिनांक 24 अप्रैल, 2012 द्वारा पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, ताकि अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अल्पसंख्यकों के उत्थान का कार्य किया जा सके।

2 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दिनॉक 27 मई 2003 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया तथा आयोग ने दिनांक 29 सितम्बर 2003 को कार्य करना प्रारम्भ किया। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अपने गठन के पश्चात से ही अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यः–

1 उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यॉकन करना।

2 संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से संबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।

3 अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होनें वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।

4 किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना।

3 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम का गठन 06 जनवरी 2005 को कंपनी अधिनियम 1956 के सैक्शन 25 के अन्तर्गत किया गया। निगम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है।

उद्देश्य :–

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु स्वरोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर पर वित्तीय संसाधन प्राप्त कर टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को कम्प्यूटर, सिलाई कड़ाई, आदि में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कौशल वृद्धि करना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से तकनीकी एवं व्यवासायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

4 **उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।**

राज्य के मदरसो की मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2005 तक उ0प्र0 मदरसा बोर्ड द्वारा ही किया जाता था। राज्य के मदरसों को मान्यता देने एवं मदरसों की परीक्षा कराने के उद्देश्य से शासनादेश सं0–813/XVII(1)–3/06– 07(11)/2005 दिनांक 03 अगस्त, 2006 के द्वारा मुस्लिम एजुकेशन मिशन के पर्यवेक्षण में **मदरसा अरबी फारसी बोर्ड** की स्थापना की गई। शासनादेश संख्या 1209/XVII –3/11–07(11)/2005 टी0सी0 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 के द्वारा उत्तराखण्ड मुस्लिम एजुके''न मि''न के समस्त पदों को समर्पित करते हुए देहरादून में उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड का गठन किया गया, इसके उपरान्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड को विधिवत् स्थापित किये जाने के उददेश्य से उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम 2006, 31 मार्च, 2016 को प्रख्यापित करते हुए अधिसूचना संख्या–1625/XVII3/1607(61)/2013 दिनांक 10 नवम्बर, 2016 द्वारा ''**उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद,''** का विधिवत् गठन किया गया है।

5 **उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पीरान कलियर, रूड़की।**

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 529/सक/02–87/दिनांक 10 जून 2002 के माध्यम से उत्तराखण्ड हज समिति की स्थापना की गई है। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति ने 18 फरवरी, 2003 से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य नामित किये जाते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा हज यात्रा संचालित करने वाला राज्य का नोडल विभाग है। राज्य के तीर्थयात्रियों के

लिए हज यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य एवं केन्द्रीय हज समिति के साथ समग्र समन्वय का कार्य उत्तराखण्ड हज समिति द्वारा किया जा रहा है। हज अवधि के दौरान तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए जेद्दाह में हज यात्रियों को समुचित चिकित्सा सुविधा, मार्ग निर्देशन आदि का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।

6 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, (जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल)

पूर्व में सभी जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा था। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को जनपद स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के दृष्टिगत अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों की स्थापना की गई है।

7 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।

राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की देख–रेख एवं रख–रखाव हेतु वक्फ बोर्डों की स्थापना की गयी है। शासनादेश संख्या–1185/XVII3/201804(9)/2016 दिनांक 26122018 के द्वारा गढ़वाल मण्डल के जनपदों की अधिकारिता हेतु देहरादून एवं कुमायूं मण्डल की अधिकारिता हेतु हल्द्वानी (नैनीताल) में वक्फ ट्रिब्यूनलों की स्थापना की गयी है।

विभाग के मूल उद्देश्य

1 राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से इन वर्गो के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किया जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अल्पसंख्यक–वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक–स्तर में गुणात्मक–सुधार लाकर समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के अन्य वर्गों की बराबरी के स्तर पर लाना है।

2 मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन–पाठन भी साथ–साथ कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएं कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के प्रत्येक क्षेत्र से सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर सकें।

3 मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना जिससे की इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चें राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

4 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि के माध्यम से स्वरोजगार सृजन हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन–मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यवसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के साथ मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर्याप्त रूप से बनी रहे एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्यान्वयन में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों तथा राज्य सरकार की मंशा को पूर्ण रूप से समावेश होता रहे, इस हेतु विभाग प्रतिबद्ध है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रशासनिक ढांचा

कार्यालयः निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून।

क्रस	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान (छःटे वेतन)	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
1	निदेशक	आईएएस/सीनियर पीसीएस	1	1	0	अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन अतिरिक्त प्रभार।
2	उपनिदेशक	15600—39100 ग्रेड पे 6600	1	1	0	उप सचिव उत्तराखण्ड शासन के पास अतिरिक्त प्रभार।
3	वित्त अधिकारी	वित्त सेवा संवर्गीय वेतनमान	1	1	0	वित्त सेवा संवर्ग।
4	सहायक निदेशक/योजना अधिकारी	15600—39100 ग्रेड पे 5400	1	0	1	वर्तमान में रिक्त।
5	विधि अधिकारी	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण	1	0	1	वर्तमान में रिक्त।
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600—39100 ग्रेड पे 5400	1	0	1	स्टाफिग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद है तथा वर्तमान में रिक्त है।
7	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	15600—39100 ग्रेड पे 4800	1	0	1	स्टाफिग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद है तथा वर्तमान में पद रिक्त है।
8	प्रशासनिक अधिकारी	15600—39100 ग्रेड पे 4600	1	1	0	स्टाफिग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद है तथा वर्तमान में पद रिक्त।
9	लेखाकार	9300—34800ग्रेड पे 4200	1	0	1	पदोन्नति का पद है, जो वर्तमान में रिक्त है।
10	सहायक लेखाकार (कम्प्यूटर दक्ष)	5200—20200ग्रेड पे 2400	2	2	0	वित्त सेवा संवर्ग।
11	वैयक्तिक अधिकारी	9300—34800ग्रेड पे 4600	1	0	1	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद।
12	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	5200—20200ग्रेड पे 4200	1	0	1	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद।
13	वैयक्तिक सहायक	5200—20200ग्रेड पे 2800	2	2	0	सीधी भर्ती से 02 कार्मिक तैनात।
14	प्रधान सहायक	5200—20200ग्रेड पे 4200	3	1	2	पदोन्नति का पद है ।
क्रस	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान (छःटे वेतन)	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य

15	वरिष्ठ सहायक	5200—20200ग्रेड पे 2800	3	1	2	पदोन्नति से भरा जाना है।
16	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुख्यालय।	5200—20200ग्रेड पे 2800	2	2	0	नियमित भर्ती।
17	कनिष्ठ सहायक	5200—20200ग्रेड पे 2000	2	1	1	01—पद पर नियमित तैनाती।
18	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	(आऊट सोर्सिंग का पद स्वीकृत)	1	1		01 पद आऊट उपनल के माध्यम से कार्यरत 01 पद रिक्त।
19	डाटा इंट्री ऑपरेटर	(आऊट सोर्सिंग का पद स्वीकृत)	1	1	0	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
20	वाहन चालक	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	4	0	4	आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत। वर्तमान में रिक्त।
21	अनुसेवक /चौकीदार/ स्वच्छक	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	11	9	2	02—कार्मिक शासन से सम्बद्व।
योग:			**42**	**24**	**18**	

मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पद स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर।

6

कार्यालयः जनपदस्तरीय कार्यालय।

क्रस	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
1	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	9300—34800 ग्रेड पे 4200	4	2	2	जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर में नियमित अधिकारी, देहरादून एवं जनपद नैनीताल में अन्य जनपदीय अधिकारियों को अतरिक्त प्रभार दिया गया है।
2	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800 ग्रेड पे 5400	1	1	0	प्रोन्नति द्वारा भरे गया है
3	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800 ग्रेड पे 4800	2	0	2	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने है।
4	प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800 ग्रेड पे 4600	2	0	2	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने है।
5	प्रधान सहायक	9300—34800 ग्रेड पे 4200	3	0	3	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने है।
6	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	5200—20200 ग्रेड पे 2800	13	10	3	03 पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन आयोग को प्रेषित।
7	वरिष्ठ सहायक	5200—20200 ग्रेड पे 2800	4	3	1	पदोन्नति का पद है
8	कनिष्ठ सहायक	5200—20200ग्रेड पे 2000	6	3	3	रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन अधीनस्थ चयन आयोग को प्रेषित।
9	कम्प्यूटर ऑपरेटर	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	4	4	0	04 कार्मिक आऊट सोर्सिंग से कार्यरत हैं।
10	अनुसेवक	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	16	8	8	08 कार्मिक आऊट सोर्सिंग से कार्यरत तथा 8 पद रिक्त हैं
योग:			**55**	**31**	**24**	

स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर

कार्यालयः उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान–ए–कलियर रूड़की।

कसं	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
1	अधिशासी अधिकारी	15600–39100 ग्रेड पे–7600	1	1	0	वर्तमान में अधिशासी अधिकारी का पदभार अन्य विभाग के अधिकारी को प्रदान किया गया है।
2	हज अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे–4600	1	1	0	प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण का पद है। वर्तमान में पद भरा हैं।
3	सहायक लेखाकार	5200–20200 ग्रेड पे–2800	1	0	1	पद रिक्त है।
4	कनिष्ठ सहायक / भण्डार सहायक	5200–20200 ग्रेड पे–2000	1	0	1	ऑउटसोर्स से कार्मिक तैनात।
5	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	5200–20200 ग्रेड पे–2000	2	0	2	02–कार्मिक संविदा पर कार्यरत
6	चौकीदार	ऑॉटसोर्स पद	2	2	0	आउट सोर्सिंग
7	अनुसेवक	ऑॉटसोर्स पद	1	0	1	आउट सोर्सिंग
8	स्वच्छक (हज हाउस)	ऑॉटसोर्स पद	1	1	0	आउट सोर्सिंग
9	माली (हज हाउस)	ऑॉटसोर्स पद	1	1	0	आउट सोर्सिंग
10	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	ऑॉटसोर्स पद	1	1	0	आउट सोर्सिंग
11	वाहन चालक	ऑॉटसोर्स पद	1	0	1	आउट सोर्सिंग
योगः			**13**	**7**	**6**	

कार्यालयः उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून।

क्रसं	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
1	निदेशक	आईएएस/ सीनियर पीसीएस	1	1	0	अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पास अतिरिक्त चार्ज
2	उप रजिस्ट्रार	प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण	1	1	0	अनु. सचिव, उत्तराखण्ड शासन से प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात।
3	निरीक्षक	प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण	1	0	1	रिक्त पद पर भर्ती प्रक्रिया मदरसा शिक्षा परिषद स्तर से गतिमान।
4	लेखाकार	आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत	1	1	0	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
5	कनिष्ठ सहायक	आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत	5	5	0	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
6	उर्दू अनुवादक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	1	1	0	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
7	अनुसेवक	आऊट सोर्सिंग स्वीकृत	3	3	0	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
योगः			**13**	**12**	**1**	

उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग।

कसं	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
1	सचिव श्रेणी (2) का पद	15600—39100ग्रेड पे 5400	1	1	0	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात।
2	वैयक्तिक सहायक (अध्यक्ष हेतु)	5200—20200ग्रेड पे 2800	1	1	0	उपनल ऑउटसोर्स के आधार पर कार्मिक तैनात।
3	लेखाकार	9300—34800ग्रेड पे 4200	1	1	0	उपनल ऑउटसोर्स के आधार पर कार्मिक तैनात।
4	वरिष्ठ लिपिक	5200—20200ग्रेड पे 2800	1	0	1	पदोन्नति का पद है तथा वर्तमान में पद रिक्त।
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200—20200ग्रेड पे 2000	1	1	0	नियमित कार्मिक तैनात।
6	वाहन चालक (अध्यक्ष एवं सचिव हेतु)	5200—20200ग्रेड पे 2000	2	1	1	01 आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200—20200ग्रेड पे 1900	4	4	0	एक पद आऊट सोर्सिंग से कार्यरत।
योगः			**11**	**9**	**2**	

10

80

संख्या /XVII-3/11-07(63)/2006

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3, देहरादूनः दिनांकः 02 दिसम्बर, 2011

विषयः उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में समाज कल्याण निदेशालय में अनुसूचित जातियों, पिछडी जातियों, विकलांगजनों, महिला कल्याण तथा अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। समाज कल्याण निदेशालय में अत्यधिक कार्य होने के कारण अल्पसंख्यकों के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं का समुचित संचालन नही हो पा रहा है। अतः इन योजनाओं/कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए महामहिम श्री राज्यपाल महोदय "अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय" के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को संचालित किये जाने हेतु निम्न पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2012 तक, बशर्ते कि इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैः-

कमांक	पदनाम	वेतन बैन्ड (ग्रेड-पे) र में	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	निदेशक	आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 संवर्ग	01(एक)
2.	उप निदेशक	वेतन बैन्ड-3, 15600-39100+ग्रेड पे-6600	01(एक)
3.	वित्त अधिकारी	वित्त सेवा का संवर्गीय वेतनमान	01(एक)
4.	लेखाकार	वेतन बैन्ड-2, 9300-34800+ग्रेड पे-4200)	01(एक)
5.	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैन्ड-2, 9300-34800+ग्रेड पे-4200)	01(एक)
6.	मुख्य सहायक	वेतन बैन्ड-1, 5200-20200+ग्रेड पे-2800	01(एक)
7.	सहायक लेखाकार (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैन्ड-1, 5200-20200+ग्रेड पे-2800	01(एक)

8.	प्रवर सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैन्ड–1, 5200–20200+ग्रेड पे–2400	01(एक)
9.	आशुलिपिक (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैन्ड–1, 5200–20200+ग्रेड पे–2400	01(एक)
10.	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैन्ड–1, 5200–20200+ग्रेड पे–1900	02(दो)
		कुल	11(ग्यारह)

3. अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, का मुख्यालय देहरादून में होगा।

4. सफाई, वाहन चालक, अनुसेवक व सुरक्षा की व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी, परन्तु संख्या का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त किया जायेगा तथा पारस्मिकता का भुगतान संगत शासनादेशों के अनुरूप देय होगा।

5. उपरोक्त तालिका के कमांक–7 पर सहायक लेखाकार का 01 पद, कमांक–8 पर प्रवर सहायक का 01 पद, कमांक–9 पर आशुलिपिक का 01 पद एवं कमांक–10 पर कनिष्ठ सहायक के 02 पद अर्थात कुल 05 पद निदेशालय, समाज कल्याण से स्थानान्तरित किये जायेंगे।

6. उपरोक्त प्रस्तर–5 में उल्लिखित पांच (5) पदों के स्थानान्तरित होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–927/कल्याण/2001 दिनांक 26.12.2001 एवं शासनादेश संख्या–477/XVII–1/11–01(78)/2008 दिनांक 27 मई, 2011 में उल्लिखित उक्त पदों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

7. स्वीकृत किये जा रहे पद धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

8. अल्पसंख्यक विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओं तथा प्रतिष्ठानों यथा मदरसा बोर्ड राज्य हज समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग एवं पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम इत्यादि का संचालन अल्पसंख्कय कल्याण निदेशालय से किया जायेगा।

9. जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ही अल्पसंख्यक विकास से सम्बन्धित कार्यों का संचालन निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के निर्देशों के अनुसार करेंगे।

10. नवगठित अल्पसंख्यक कल्याण के अन्तर्गत निदेशन एवं प्रशासन के लिए नया लेखा शीर्षक अभी नही खुला है अतः चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुदान संख्या: 15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवाएं–00–800–अन्य व्यय–09–पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन पर व्यय के मानक मद–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता से अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जायेंगे। जब अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के लिए नया लेखा शीर्षक खुल जायेगा, तब उस लेखाशीर्षक के अन्तर्गत व्यय वहन किया जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–554/XVII(7)/2011 दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(एस० राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

संख्या 1194 (1)/XVII-3/11-07(63)/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन नई दिल्ली।
7. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नवसृजित उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, में निदेशक के पद पर किसी आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारी को तैनात करने का कष्ट करें।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
9. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
17. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
18. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
20. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
21. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी0आर0 टम्टा)

अपर सचिव।

संख्या: 1032 /XVII-3/12-07(63)/2006

(323)

प्रेषक

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 17 सितम्बर, 2012

विषयः अल्पसंख्यक कल्याण की केन्द्र/राज्य पोषित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु निदेशालय/जनपद स्तर पर दक्ष कार्मिकों की संविदा आधार पर व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्याः–352 दिनांक 13 जुलाई, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण की केन्द्र/राज्य पोषित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु निदेशालय/जनपद स्तर पर दक्ष कार्मिकों की संविदा आधार पर व्यवस्था करने की अनुमति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय स्तर पर 01 कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स तथा जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल तथा निदेशालय हेतु 05 डाटा इन्ट्री आपरेटर उपनल के माध्यम से उपनल की दरों पर जिनकी योग्यता एम0सी0ए0/समकक्ष तथा डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु कम्प्यूटर डिप्लोमा हो, को लिये जाने तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवाऐं प्राप्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त कार्मिकों के उपनल की दरों का मानदेय भारत सरकार की विभिन योजनाओं में प्राप्त प्रशासनिक व्यय/अन्य व्यय एवं अन्य सुसंगत मदों से किया जायेगा। कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

संख्या: 1185 /XVII-3/2018-04(09)/2016

प्रेषक,

डा. रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2018

विषयः उत्तराखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण (देहरादून एवं हल्द्वानी) के सुचारू संचालन हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथा संशोधित, 2013) की धारा-83 की उपधारा-4 के प्राविधानानुसार जनपद देहरादून एवं हल्द्वानी में गठित 02 त्रिस्तरीय वक्फ न्यायाधिकरणों के सुचारू संचालन हेतु श्री राज्यपाल संलग्न तालिका के अनुसार, 07-07 पदों कुल 14 (चौदह) अस्थायी पदों को शासनादेश जारी होने अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2019 तक सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त पद इससे पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं।

2- उत्तराखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यगण पद के नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड होंगे तथा शेष अन्य पदों के नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित वक्फ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष होंगे।

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि सम्बन्धित दोनों न्यायाधिकरणों के पदों की भर्ती/नियुक्ति संलग्न तालिका में वर्णित स्तम्भ-4 के अनुसार की जायेगी।

4- यह सुनिश्चित करा लिया जाय कि उपरोक्त पदों के पदधारकों को वही वेतन/मंहगाई/अन्य भत्ता प्राप्त होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत अनुमन्य हो।

5- संलग्न तालिका में उल्लिखित 14 अस्थाई पदों की संख्या नवगठित दोनों वक्फ न्यायाधिकरणों में समान (07-07) होगी।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के "आयोजनागत/राजस्व" पक्ष के "लेखा शीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवाऐं-800 अन्य व्यय-29-वक्फ ट्रिब्यूनलों हेतु सहायता" के अन्तर्गत मानक मद "20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-470/XXVII(7)/2018, दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डा. रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 1185 (1)/XVII-3/18 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
5. मा. अध्यक्ष, वक्फ ट्रिब्यूनल, देहरादून/हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर.के. तोमर)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–1185 / XVII-3 / 2018–04(09) / 2016, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 का संलग्नक

क्र. सं.	पदनाम	वेतन बैण्ड	भर्ती का स्रोत	पदों की संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	अध्यक्ष	अपने संवर्ग के अनुसार	पदेन	02	राज्यपाल	ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का जिला, सेशन या प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पद धारण करने वाला सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा।
2	सदस्य	अपने संवर्ग के अनुसार	पदेन	02	राज्यपाल	ऐसा एक व्यक्ति, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा, सदस्य होगा।
3	सदस्य	₹ 3000 /– प्रति बैठक की दर से	नामित सदस्य	02	राज्यपाल	ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान है, सदस्य होगा।
4	पेशकार	₹ 5200–20,200 ग्रेड वेतन ₹ 2,800 /–	पदोन्नति द्वारा	02	अध्यक्ष	पोषक संवर्ग उर्दू अनुवादक / अभिलेखपाल में से सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। जब तक पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तब तक प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा।
5	वैयक्तिक सहायक (आशुलिपिक)	₹ 5200–20,200 ग्रेड वेतन ₹ 2,800 /–	अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	02	अध्यक्ष	चयन समिति के माध्यम से।
6	उर्दू अनुवादक / अभिलेखपाल	₹ 5200–20,200 ग्रेड वेतन ₹ 2,000 /–	—तदैव—	02	अध्यक्ष	चयन समिति के माध्यम से।
7	चतुर्थ श्रेणी / अनुसेवक	सेवायें आउटसोर्स	सेवायें आउटसोर्स	02	अध्यक्ष	—

कुल पदों की संख्या–14 (चौदह)

(आर.के. तोमर)
संयुक्त सचिव।

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग
संख्या: 428 / स.क.-02-35(स.क.) / 2002
देहरादून: दिनांक 11 जुलाई 2002

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा, उनके सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक विकास, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग का गठन करते हुए, आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से निस्तारित किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में पदों के सृजन आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि जो भी पूर्व में हो बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, से दिनांक 28 फरवरी 2003 तक के लिए सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

क.सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	सचिव, श्रेणी(II) का पद	8,000-13,500	1
2	लेखाकार	5,000-8,000	1
3	वैयक्तिक सहायक (अध्यक्ष हेतु)	5,000-8,000	1
4	वरिष्ठ लिपिक	4,000-6,000	1
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3,050-4,590	1
6	वाहन चालक (अध्यक्ष एवं सचिव हेतु)	3,050-4,590	2
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2,550-3,200	4
		योग	11

2 सफाई व सुरक्षा की व्यवस्था हेतु कर्मचारी संविदा के आधार पर शासन की स्वीकृति के उपरान्त रखें जायेगें।

3 उपरोक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जायेगी। उक्त स्वीकृत पद पूर्णतः अस्थाई है एवं इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

4 स्वीकृत किए जा रहे पद के धारकों को शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होगें।

क्रमशः 2

:: 2 ::

5 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2002–2003 के अनुदान संख्या लेखाशीर्षक 2250–अन्य. सामाजिक सेवायें–00–800–00–अन्य व्यय–04–अल्पसंख्यक आयोग अधिष्ठान, के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1434 वि.अनु–2/2002 दिनांक 03 जुलाई 2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

(आर. के. वर्मा)
सचिव

संख्या: 428/स.क.–02–35(स.क.)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून.
2 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन.
3 निजी सचिव मा. मुख्यमंत्री उत्तरांचल.
4 निजी सचिव मा. मंत्री समाज कल्याण उत्तरांचल
5 निदेशक समाज कल्याण उत्तरांचल देहरादून.
6 निदेशक कोषागार उत्तरांचल देहरादून
7 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून.
8 वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन
9 गार्ड फाईल

आज्ञा से,
(गरिमा रौंकली)
उप सचिव

संख्या: 783/XVII-3/14-07(63)/2006

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 19 सितम्बर, 2014

विषयः-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय के ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं का कियान्वयन एवं मॉनीटरिंग उचित ढंग से किये जाने हेतु अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय के ढांचे के पुनर्गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित अतिरिक्त पदों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमान में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.2.2015 तक, बशर्ते कि उससे पूर्व बिना किसी सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, सृजित किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण से सम्बन्धित अतिरिक्त पदों का विवरण-

क्र सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रू0 में)	भर्ती का स्रोत
1	सहायक निदेशक/योजना अधिकारी	01	वेतन बैण्ड-3, 15600-39100 +ग्रेड पे-5400	प्रतिनियुक्ति द्वारा
2	विधि अधिकारी	01	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण
3	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	01	वेतन बैण्ड-2, 9300-34800 +ग्रेड पे-4200	प्रोन्नति द्वारा
4	सहायक लेखाकार	01	वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 +ग्रेड पे-2800	सीधी भर्ती
5	वैयक्तिक सहायक	02	वेतन बैण्ड-2, 9300-34800 + ग्रेड पे-2800	सीधी भर्ती
6	वरिष्ठ सहायक	02	वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 +ग्रेड पे-2800	प्रोन्नति द्वारा
7	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर सहायक	02	वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 +ग्रेड पे-2000	सीधी भर्ती
8	वाहन चालक	04	—	वाहन की स्वीकृति के साथ ही पद सृजन कर भर्ती आउट सोर्सिंग से।
9	अनुसेवक/स्वच्छकार/चौकीदार	(04 अनुसेवक व 01 स्वच्छकार)	—	इन पदों के कार्य आउट सोर्सिंग से कराये जायेगें।

2 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय से सम्बन्धित अतिरिक्त पदों का विवरणः–

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रू0 में)	भर्ती का स्रोत
1	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	15	वेतनबैण्ड–1, 5200–20200 + ग्रेड पे–2800	सीधी भर्ती द्वारा
2	प्रधान सहायक	04	वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 + ग्रेड पे–4200	प्रोन्नति द्वारा
3	वरिष्ठ सहायक	04	वेतन बैण्ड–1, 5200–20200 + ग्रेड पे–2800	प्रोन्नति द्वारा
4	कनिष्ठ सहायक	04	वेतन बैण्ड–1, 5200–20200 + ग्रेड पे–2000	सीधी भर्ती
5	अनुसेवक/चौकीदार/ स्वच्छकार (04 जनपदों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालयों हेतु)	(08 अनुसेवक व 04 चौकीदार व 04 स्वच्छकार)		इन पदों के कार्य आउट सोर्सिंग से कराये जायेगें।

2. आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृति पदों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कार्य सम्पादित किया जायेगा। सीधी भर्ती के स्वीकृत किये जा रहे पद धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–147(P)/XXVII(3)2014-15, दिनांक 17 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से प्राप्त किये जा रहे है।

भवदीय

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

संख्याः– /XVII-3/14-07(63)/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।हीजजती
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढवाल उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड।
9. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

126

संख्या: XVII-3/14-07(60)/2007

प्रेषक,

डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 22 मई, 2014

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में हज यात्रा तथा मक्का, मदीना और इरान इराक आदि की प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा से सम्बन्धित व्यवस्था को सुचारू रूप से सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित पदों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमान में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.2.2015 तक बशर्ते की उससे पूर्व बिना किसी सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क.सं.	पदनाम	पदों की सं.	वेतनमान (रू0में)	भर्ती का स्रोत
1.	अधिशासी अधिकारी	01	वेतन बैण्ड–3, 15600–39100+ ग्रेड पे– 7600	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण
2.	हज अधिकारी	01	वेतन बैण्ड–2, 9300–34800+ग्रेड पे–4600	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण
3	सहायक लेखाकार	01	वेतन बैण्ड–1, 5200–20200+ ग्रेड पे–2800	सीधी भर्ती
4	कनिष्ठ सहायक/भण्डार सहायक	01	वेतन बैण्ड–1, 5200–20200+ ग्रेड पे–2000	सीधी भर्ती
5	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	02	वेतन बैण्ड–1, 5200–20200+ग्रेड पे–2000	सीधी भर्ती
6	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	01	–	आउट सोर्सिंग
7	वाहन चालक	01	–	आउट सोर्सिंग
8	चौकीदार	02	–	आउट सोर्सिंग
9	अनुसेवक	02	–	आउट सोर्सिंग
10	स्वच्छक (हज हाउस)	01	–	आउट सोर्सिंग
11	माली (हज हाउस)	01	–	आउट सोर्सिंग
	योग – 14			

22

22

(5)

2\. आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृति पदों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कार्य सम्पादित किया जायेगा। सीधी भर्ती के स्वीकृत किये जा रहे पद धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।

3\. उत्तराखण्ड राज्य हज समिति के अन्तर्गत निदेशन एवं प्रशासन के लिए मदवार लेखाशीर्षक अभी नहीं खुला है। अतः इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 की अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2250–अन्य सामाजिक सेवायें–00–800 अन्य व्यय–03–प्रान्तीय राज्य हज समिति को अनुदान–20 सहायक अनुदान /अशंदान /राज्य सहायता से वहन किया जायेगा।

4\. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–13(NP)/XXVII(3)/2014-15, दिनांक 22 मई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से प्राप्त किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

संख्याः– ५३१ /XVII-3/2013-07(60)/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन नई दिल्ली।
7. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढवाल उत्तराखण्ड।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रायल, नई दिल्ली।
11. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, देहरादून।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
15. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड।
16. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
17. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
18. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
20. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः–935 /XVII-3/13-22(अ0स0)/2012

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनु–3   देहरादूनः दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

विषयः–अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून एवं नैनीताल में चार (04) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1183/XVII-3/11-7(63)2006, दिनांक 02.12.2011 के प्रस्तर–9 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में जिला स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं का कार्य जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा ही देखा जा रहा है। कार्यो की अधिकता के कारण अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित योजनाओं का कियान्वयन पूर्ण रूपेण न हो पाने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि कार्यो में गति लाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य के चार (04) अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में पृथक–पृथक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अस्थायी पद एवं कार्यालय की स्थापना की जाय।

अतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित योजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य चार (04) जनपदों हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय की स्थापना किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालयों का संचालन किये जाने हेतु निम्न पदो को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2014 तक बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, सृजित करने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	पद नाम	पदों की सं0	वेतनमान
1	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	चार (04)	रू0 9300–34800ग्रेड–पे 4200
2	प्रवर सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	चार (04)	रू0 5200–20200ग्रेड–पे 2800
3	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	चार (04)	रू0 5200–20200ग्रेड–पे 2400

1. निर्धारित वेतनमान में सृजित पदों के सापेक्ष नियमानुसार नियुक्त पद धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
2. नवगठित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालयों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–2250 अन्य सामाजिक सेवायें–00–800–अन्य व्यय–21–जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान –00 की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

A/O

D.D.
21.X.2013

A.O.

Smt. Shama
Steno

21/X/2013
AO

3. जनपद स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के निर्देशानुसार करेंगे।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–72(P)XXVII(3)/2013-14 दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ० अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

संख्या:– /XVII-3/2013-22(ब0अ0)/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन नई दिल्ली।
7. मण्डलायुक्त, कुमायू/गढ़वाल उत्तराखण्ड।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रायल, नई दिल्ली।
11. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड।
16. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
17. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
18. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
20. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।

25

संख्या /XVII-3/11-07(11)/2005टी0सी0

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3, देहरादूनः दिनांकः [illegible] दिसम्बर, 2011

विषयः उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, का गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में राज्य में लगभग 500 ऐसे मदरसे संचालित किये जा रहे है, जिनमें आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ दीनी-तालीम प्रदान की जा रही है, परन्तु इन मदरसों में से 26 मदरसे ही ऐसे है जो उ0प्र0 मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। उ0प्र0 मदरसा बोर्ड मुंशी/मौलवी (10वीं फारसी), आलिम (12वीं) कामिल (स्नातक) तथा फाजिल (स्नातकोत्तर) के प्रमाण-पत्र/उपाधि प्रदान करता है। इस प्रकार में मदरसा बोर्ड के गठन न होने के कारण राज्य के मदरसों एवं छात्रो को अत्यधिक कठिनाई होती हैं। अतः मदरसों को मान्यता एवं उक्तानुसार प्रमाण-पत्र/उपाधि प्रदान करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड राज्य की परीक्षाओं को संचालित किये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय "उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड" के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका मुख्यालय देहरादून में होगा।

3. उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड का संचालन किये जाने हेतु निम्न पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2012 तक वशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

कमांक	पदनाम	वेतनमान (ग्रेड-पे) ₹ में	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	निदेशक	आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 संवर्ग	01(एक)
2.	उप रजिस्ट्रार (प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण)	वेतन बैन्ड-3,15600-39100+ग्रेड पे-5400	01(एक)
3.	निरीक्षक (प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण)	वेतन बैन्ड-2, 9300-34800+ग्रेड पे-4600)	01(एक)
4.	उर्दू अनुवादक	वेतन बैन्ड-1, 5200-20200+ग्रेड पे-2400	01(एक)
		कुल	04(चार)

उक्त के अतिरिक्त लेखाकार के 01 पद, कनिष्ठ सहायक के 05 पद, अनुसेवक के 02 पद एवं स्वीपर–कम चौकीदार के 01 पद पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जानी होगी। आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत पदों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कार्य सम्पादन किया जायेगा। ।

4.. निर्धारित वेतनमान में सृजित पदों के सापेक्ष नियमानुसार नियुक्त पद धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

5. राज्य में स्थापित मुस्लिम एजुकेशन मिशन को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है तथा उसमें सृजित पदों को भी समर्पित किया जाता है।

6. शासन के शासनादेश संख्याः 88/XVII–(1)–3/06–07(30)/2005 दिनांक 16 फरवरी, 2006. एवं कार्यालय ज्ञाप संख्याः 638/XVII–(1)/स0क0–4(स0क0)/2004 दिनांक 09 मार्च, 2005 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 806/XVII–(1)–3/05–07(30)/2005 टी0सी0 दिनांक 01 अगस्त, 2006 द्वारा मुस्लिम एजुकेशन मिशन के लिए सृजित पदों सम्बन्धी समस्त उक्त आदेशों को निरस्त किया जाता है।

7. राज्य के अन्तर्गत समस्त मदरसों से सम्बन्धित सभी योजनाओं/कार्यो दायित्वों इत्यादि जिनका संचालन अभी तक मुस्लिम एजुकेशन मिशन द्वारा किया जा रहा है आदेश जारी होने की तिथि से उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, द्वारा किया जायेगा।

8. जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ही मदरसों से सम्बन्धित कार्यों का संचालन निदेशक/उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड के निर्देशानुसार करेंगे।

9. नवगठित उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–2250 अन्य सामाजिक सेवाएं–00–800–अन्य व्यय–उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की स्थापना–00 के मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–305 XVII–(P)XXVII–(3)2011–12 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

(5)

संख्या 1209 (1)/XVII-3/11-07(11)/2005टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन नई दिल्ली।
7. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नवसृजित उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, में निदेशक के पद पर किसी आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारी को तैनात करने का कष्ट करें।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
9. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी-नैनीताल, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
17. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
18. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
20. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
21. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या:282-XVII-B-1/2021-03(20) 2020
देहरादून : दिनांक : 16 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 1045/नि.अ.क./2020–21 दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव/संस्तुति के कम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न अधिष्ठानों यथा अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य हज समिति कार्यालय में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कुल 34 पदों को एकीकृत करते हुए, कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या –90/XXX(2)/16–30 (51)2015 दिनांक 26.07.2016 के अनुसार विभाग के अन्तर्गत संरचनात्मक ढांचे में स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था को निम्नवत निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क.स	पदनाम	कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिशत	कुल 34 पदों के सापेक्ष स्टाफिंग पैटर्न में पदों की संख्या
1	कनिष्ट सहायक	32%	11
2	वरिष्ठ सहायक	28%	09
3	प्रधान सहायक	18%	06
4	प्रशासनिक अधिकारी	8%	03
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	8%	03
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	6%	02
	योग	100%	34

2– उक्तानुसार अंकित तालिका के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत विभिन्न अधिष्ठानों हेतु मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्वीकृत पदों की संख्या को यथावत रखते हुए कुल 34 पदों को अधिष्ठान/कार्यालयवार निम्नवत विभाजित किया जाता है:–

क.सं	पदनाम	निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग	उत्तराखण्ड राज्य हज समिति	जिला अल्पसंख्यक कार्यालयों हेतु			
					देहरादून	हरिद्वार	ऊधमसिंह नगर	नैनीताल
1	कनिष्ठ सहायक	2	1	2	1	2	2	1
2	वरिष्ठ सहायक	3	1	1	1	1	1	1
3	प्रधान सहायक	3	–	–	1	1	–	1
4	प्रशासनिक अधिकारी	1	–	–	–	–	1	1

Scanned with CamS

5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	—	—	1	—	1	—
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	—	—	—	1	—	—
	योग 34	11	2	3	4	5	5	4

2— स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत उक्त फांट के अनुसार पदों की संख्या तथा वेतनमान के संबंध में संगत सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय पर कर लिया जायेगा।

3— उक्त आदेश कार्मिक विभाग के सम्यक/सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(एल.फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 282 /XVII-B-1/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/उधमसिंह नगर।
5— वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/उधमसिंह नगर।
6— जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/उधमसिंह नगर।
7— सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
8— अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान कलियर, रूड़की, हरिद्वार।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल.फैनई)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamSc

खण्ड–2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य

(The powers and duties of its officers and employees)

खण्ड–2

(निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य

(The powers and duties of its officers and employees)

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यकलापों के सर्वोन्मुखी विस्तार होने तथा उसके अन्तर्गत हो रहे कार्यो में वांछित प्रगति लाने के उद्‌देश्य से विभागाध्यक्ष स्तर तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों को निम्नलिखित अधिकार एवं शक्तियॉ प्रतिनिधानित है।

समय–समय पर शासन स्तर से निर्गत आदेशों के अनुसार विभागाध्यक्ष के दायित्व एवं प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की गयी है :–

प्रस्ताव	**विभागाध्यक्ष स्तर से**
1– वित्तीय स्वीकृतियॉ	संकलित प्रस्ताव शासन को भेजी जायेगी
2– अधिष्ठान संबंधी कार्य	श्रेणी 3 व 4
3–दण्डादेश / प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन	श्रेणी 3 व 4 के कार्मिकों के प्रथम अपील
4– स्थानान्तरण(सामान्य कार्य) (स्थानान्तरण सत्र के पश्चात् शासन की अनुमति से)	श्रेणी 3 व 4
5–नियुक्तियॉ (शासन की अनुमति के उपरान्त) (श्रेणी–3 कतिपय संवर्गो में लोक सेवा आयोग के परामर्श से)	श्रेणी 3 व 4

विभाग के नीतिगत प्रकरणों में शासन स्तर पर प्रशासनिक निर्णय हेतु सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण को अधिकृत किया गया है।

निदेशालय स्तर पर संचालित योजनाओं के सफल कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा विभागीय अधिष्ठान से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड में निहित है।

जनपद स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में नियमानुसार योजनाओं के सफल संचालन हेतु प्रयासरत है। इस हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को आहरण वितरण के अधिकार भी प्रदान किये गये है।

1 नियुक्ति संबंधी अधिकार :–

1. समस्त समूह 'ग' एवं 'घ' (अराजपत्रित) कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी निदेशक है। राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों की दक्षतारोक एवं अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार निदेशक में निहित है।

2– वित्तीय अधिकार :–

1. विभागाध्यक्ष की हैसियत से निदेशक में समस्त प्रकार के वित्तीय अधिकार निहित है राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थायी जी0पी0एफ0 अग्रिम का अधिकार निदेशक में निहित है।
2. वित्तीय व्ययों का भुगतान निदेशक, के अनुमोदनोपरांत कोषागार के माध्यम से किया जाता है।

3–प्रशासनिक अधिकारः–

1. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी अधिकार निदेशक में निहित है ।
2. समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ स्वीकृतकर्ता अधिकारी निदेशक है ।
3. विभाग के अन्तर्गत समस्त अधिष्ठानों के नियंत्रक अधिकारी है।
4. उत्तराखण्ड अनुशासनात्मक एवं अपील नियमावली, 2003 के प्राविधानों के आलोक में जिला स्तरीय अधिकारियों को लघु दण्ड एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को लघु एवं वृहद दण्ड देने का अधिकार है।

कार्य–विभाजन आदेश

निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य कार्यविभाजन सम्बन्धी पूर्व में निर्गत आदेशों को निम्न सीमा तक अवकक्रित करते हुए तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा निम्नवत् कार्य–विभाजन किया जाता है :–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम / पदनाम	वर्तमान में सम्पादित किये जा रहे कार्य
1.	सुश्री पुष्पा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बद्ध)	लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय का दायित्व। • उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
2.	श्री सुनील ढौंडियाल, प्रशासनिक अधिकारी	• बजट निर्माण, बजट स्वीकृतियॉ, पुनर्विनियोग प्रस्ताव, बजट नियन्त्रण, अनुपूरक प्रस्ताव आदि से संबंधित कार्य। • **प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना से संबंधित समस्त कार्य।** • मासिक प्रगति विवरण बी.एम–8 की रिपोर्टिंग। • बी0एम0–8 तथा बी0एम0–4 जनपदों से प्राप्त करना एवं तैयार करना। • महामहिम राज्यपाल / मा.मुख्यमंत्री / माननीय वित्त मंत्री / मा. विभागीय मंत्री के बजट भाषण एवं एम.डी. ओ से संबंधित कार्य। • पटल से संबंधित विधानसभा प्रश्नों / मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं / रिट से संबंधित कार्य मुंख्यमत्री सन्दर्भ / भारत सरकार सन्दर्भ का कार्य। • उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
3.	श्री नौशाद अली खांन, प्रधान सहायक।	• **निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण तथा अधीनस्थ अधिष्ठानों के समूह–क, ख, ग एवं घ से संबंधित समस्त स्थापना संबंधी कार्य।** • **कालातीत बिलों को पूर्व लेखा सम्परीक्षा के निस्तारण का कार्य।** • **निदेशालय एवं जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन।** • नियोजन विभाग से संबधित मासिक सूचनाऐं, ई–ऑकलन से संबंधित कार्य। • पटल से संबंधित विधानसभा प्रश्नों / मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं / रिट से संबंधित कार्य। • मुख्यमंत्री सन्दर्भ / भारत सरकार सन्दर्भ का कार्य। • उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। • विभागीय जांच से संबंधित कार्य। • अल्पसंख्यक कल्याण भवन का विस्तारीकरण। • मा. सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय में दायर

		रिट याचिकाओं में समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र मां. न्यायालय में दाखिल करवाया जाना। (श्री अजहरूद्दीन, वरिष्ठ सहायक सहयोग प्रदान करेंगे।)
4.	श्री अजहरूद्दीन, वरिष्ठ सहायक।	• अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास योजना। • मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। • मा. न्यायालय संबंधी कार्यों हेतु श्री नौशाद अली खान को सहयोग प्रदान करना। • विभागीय स्तर पर लिये जाने वाले किराये के वाहनों से संबंधित। • ऑउटसोर्स कार्मिकों की उपस्थिति संबंधी कार्य। • विभाग द्वारा संचालित आवर्तक अनुदान पर संचालित मदरसा रहमानिया से सम्बन्धित कार्य। • निर्वाचन से सम्बन्धित पत्रावली। • पटल से संबंधित विधानसभा प्रश्नों/मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं/रिट से संबंधित कार्य • मुख्यमंत्री सन्दर्भ/भारत सरकार सन्दर्भ का कार्य। • वृक्षारोपण। • निदेशालय भवन की लाईट/पंखे/कम्प्यूटर/प्रिन्टर आदि क्रय/मरम्मत आदि अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य/निदेशालय स्टेशनरी क्रय से संबंधित कार्य। • निदेशालय जनरेटर मरम्मत/ईधन से संबंधित कार्य। • विभिन्न कार्यक्रमों/बैठकों आदि हेतु जलपान व्यवस्था। • उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
5.	कु. निधि रावत, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।	• मदरसों को विविध अनुदान/आधुनिकीकरण योजना। • अल्पसंख्यक विकास निधि • विभागीय प्रथम अपील से संबंधित कार्य। • पटल से संबंधित विधानसभा प्रश्नों/मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं/रिट से संबंधित कार्य • मुख्यमंत्री सन्दर्भ/भारत सरकार सन्दर्भ का कार्य। • सी.एम हेल्पलाईन से संबंधित कार्य। • उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
6.	श्री बी.पी.त्रिवेदी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।	• उत्तराखण्ड वक्फ ट्रिब्यूनल एवं उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड (बजट को छोड़कर) • मुख्यमंत्री हुनर योजना। • उत्तराखण्ड वक्फ विकास परिषद्। • उत्तराखण्ड हुनर परिषद। • उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ

		विकास निगम द्वारा संचालित समस्त योजनाऐं। • पटल से सम्बन्धित विधानसभा प्रश्नों / मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं / मुख्यमंत्री सन्दर्भ / भारत सरकार के सन्दर्भ संकलन का कार्य। • सिखो और कमाओं योजना। • उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
7.	श्रीमति रेनू पन्त वैयक्तिक सहायक	• निदेशक / उपनिदेशक से डार्क मार्क करवाना। • सेवा का अधिकार। • निदेशक / उपनिदेशक महोदय के भ्रमण से संबंधित कार्य। • उच्चाधिकारियों द्वारा सौपे गये अन्य कार्य। • डाक प्राप्ति एवं प्रेषण से संबंधित कार्य। • मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना। • निदेशालय की ई–मेल चेक एवं सेंण्ड करना। • महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री मा. मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री जी के स्तर से भेजे गये वी.आई.वीसन्दर्भ संकलन से संबंधित कार्य। • समस्त गार्ड फाईल के रख–रखाव से संबंधित कार्य।
8.	श्री नरेन्द्र कुमार, वैयक्तिक सहायक	• विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त नोट कर तैयार करना। • सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्य एवं दायित्व। • गणतंत्र दिवस / स्वतंत्रता दिवस / 02 अक्टूबर आदि राष्ट्रीय / प्रदेशिक पर्वो से संबंधित कार्य। • विभिन्न आयोगों / परिषदों / महानुभावों के स्थापना, सुविधाओं एवं अन्य विविध कार्य (बजट को छोड़कर) • उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
9.	श्री ईशान चावला, सहायक लेखाकार	• आउटसोर्स कार्मिकों के वेतन से संबंधित कार्य। • निदेशालय के कैश संबंधी समस्त कार्य। • वेतन / एरियर सम्बंधी कार्य। • ऑनलाईन एवं ऑफलाईन बिल तैयार करना। • निदेशालय बैंक एकाउन्ट से संबंधित समस्त कार्य। • आयकर विभाग द्वारा निर्धारित त्रैमासिक आयकर रिटर्न का ई–फाइलिंग, जी.एस.टी रिटर्न तथा फार्म–16 जारी करवाने सम्बन्धी कार्य। • उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
10.	श्री रंजीत कुमार, सहायक लेखाकार	• एस.एन.ए एकाउन्ट एवं पी.एफ.एम.एस एकाउन्ट से संबंधित कार्य। • कैशबुक, लेजर तैयार करना।

		• जनपदों एंव निदेशालय स्तर पर अनुपयुक्त धनराशि एवं राजस्व के रूप में प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराने सम्बंधी कार्य। • मुख्यालय स्तर पर महानुभावों के बिल/देयक तैयार करवाना। • उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
11.	श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ सहायक	• **केन्द्रपोषित प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना में श्री सुनील ढौंडियाल, प्रशासनिक अधिकारी को सहयोग।** • केन्द्रपोषित पूर्वदशम् दशमोत्तर, मेंरिट कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना से संबंधित कार्य में श्री जगदीश प्रसाद को सहयोग। • उक्त विषय से सम्बन्धित मुंख्यमत्री सन्दर्भ/भारत सरकार के सन्दर्भों पर कार्यवाही। • कब्रिस्तान की चाहरदिवारी योजना। • निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण स्तर पर एस.पी.ई.एम.एम/आई.डी.एम.आई. योजना से संबंधित कार्य। • उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
12.	श्री जगदीश प्रसाद, कम्प्यूटर प्रोग्रामर (ऑउटसोर्स)	• केन्द्र पोषित पूर्वदशम् दशमोत्तर, मेरिट कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना से संबंधित समस्त कार्य। • **पी0एम0जे0वी0के0 से सम्बन्धित तकनीकी प्रवृत्ति के कार्यों में श्री ढौंडियाल का सहयोग।** • पटल से संबंधित विधानसभा प्रश्नों/मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं/रिट से संबंधित कार्य • मुख्यमंत्री सन्दर्भ/भारत सरकार सन्दर्भ का कार्य। • डी.बी.टी.योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य। • ऑनलाईन से संबंधित कार्य। • विभागीय बैठकों हेतु पॉवर प्वांईट प्रजैन्टेशन तैयार किया जाना। • विभागीय बैबसाईट में योजनाओं, वित्तीय स्वीकृतियों निर्माण कार्यो एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को बैबसाईट पर अपलोड से संबंधित समस्त कार्य। • उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

Digitally signed by
HIRA SINGH
Date: 11-04-2025
11:55:20

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उपनिदेशक,
कृते निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून,

37

पत्रांक 33 / नि.अ.क. / 120—कार्य विभाजन / 2025—26 दिनांक 11 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण,देहरादून।
4. निदेशालय के अधीनस्थ समस्त अधिष्ठान।
5. संबंधित अधिकारियों / कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

उपनिदेशक,
कृते निदेशक।

कार्यालय–ज्ञाप।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या–237 / स्था0 / उ0सू0अ0 / 2025–26, दिनांक 24.04.2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में विभागाध्यक्ष स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तैयार किये गये विभागीय मैनुअल को प्रतिवर्ष माह जून के अंत तक अद्यावधिक (31 मार्च की स्थिति के अनुसार) कर, विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने एवं तत्सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु सुश्री पुष्पा मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण को एतद्द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2. उक्तानुसार सुश्री पुष्पा मिश्रा को निर्देशित किया जाता है कि मा0 सूचना आयोग के निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Rajendra Kumar
Date: 05-05-2025 (राजेन्द्र कुमार)
10:08:35 निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून,

पत्रांक/03/नि0अ0क0 / सू.क.अधि. / नो. अधि.. / ई 24967 / 2025–26 दिनांक 05 मई, 2025।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के संबंध में सूचना निर्धारित प्रारूप–1 एवं प्रारूप–2 पर संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
3. लोक प्राधिकरी, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, सिद्धोवाला, देहरादून।
4. लोक प्राधिकारी, डॉ. आर. एस. टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
5. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सुश्री पुष्पा मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का अनुपालनार्थ प्रेषित।
7. श्री जगदीश, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य में सुश्री पुष्पा मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण को तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

निदेशक।

	Department Name(English)	Directorate of Minority Welfare
2.	Department Name (Hindi)	अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
3.	Public Authority (English)	Director, Minority Welfare
4.	Public Authority (Hindi)	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण
5.	Name of Nodal Officer (English)	Miss. Pushpa Mishra
6.	Designaion (English)	Chief Administrative Officer
7.	Add. (English)	Shaheed Bhagat Singh Colony, Adhoiwala, Dehradun
8.	Email ID	ukdirectorminority@gmail.com
9.	Mob. No.	9536311707

I/59094/2024

<u>कार्यालय–आदेश</u>

सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पत्र संख्या–10842/स्था/उ0सू0आ0/2023–24, दिनांक 19.01.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण के आदेश संख्या–568, दिनांक 01.09.2023 को अधिक्रमित करते हुए, अल्पसंख्यक कल्याण विभागान्तर्गत RTI Online portal के माध्यम से समय–समय पर प्राप्त अनुरोध–पत्र और प्रथम अपील को संबंधित अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपील अधिकारी को ऑनलाईन स्थानान्तरण किये जाने एवं समस्त लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 तैयार कर संबंधितों को प्रदान किये जाने हेतु सुश्री पुष्पा मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण को एतद्द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2. सुश्री पुष्पा मिश्रा द्वारा उपरोक्तानुसार मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 19.01.2024 में दिये गये निर्देशों का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

Signed by Rajendra Kumar
Date: 02-02-2024 16:31:30

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून,

पत्रांक 1153/नि0अ0क0/सू.क.अधि./लोक.सू.अ./2023–24 दिनांक 03 फरवरी, 2024।

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग, लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, देहरादून।
5. निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।
6. अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, हज हाउस पिरान कलियर रूड़की हरिद्वार।
7. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर को छोड़कर अन्य सभी जिले।
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
11. श्री जगदीश, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य में सुश्री पुष्पा मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण को तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

गार्ड फाईल।

कार्यालय आदेश

'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की धारा 5(1) (2) तथा 19 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून में एतद्द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया जाता है–

क्र. सं	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।	श्री खुर्शीद अहमद, कनिष्ठ सहायक	श्री मौहम्मद औबेदुल्लाह अंसारी, उप रजिस्ट्रार	श्री राजेन्द्र कुमार निदेशक

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

पता– अल्पसंख्यक कल्याण भवन बी0 ब्लॉक, शहीद भगत सिंह कालोनी, निकट छात्रावास, अधोईवाला, देहरादून।

फोन/फैक्स नं0 0135 2975456 website www.ukmadarsaboard.org.in, email ukmadarsaboard@gmail.com

Director
/11/24

ishan chawla (A.Acc.)

पत्रांकः 417 /उ.म.शि.प./सू.का.अधि.अधिनियम–2005/2024–25 दिनांक 16 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
6. उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून को अनुपालनार्थ प्रेषित।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल।
8. गार्ड फाईल।

D. Dir
28/11/24

निदेशक

3222
28/11/24

I/110769/2024

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश संख्या–I/4222/2022 MWS-A/15/100/2022-XVII-B-1 दिनांक 13.06.2022 में दिये गये निर्देशों एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) (2) तथा 19 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण स्तर पर पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–380/नि0अ0क0/सू0क0अधि0/लोक0सू0अ0/2024–25, दिनांक 31.07.2023 को अधिक्रमित करते हुए, सुश्री पुष्पा मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को एतद्द्वारा लोक सूचना अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण नामित किया जाता है।

2. सुश्री पुष्पा मिश्रा द्वारा उपरोक्तानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार समयान्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

Signed by Rajendra Kumar
Date: 02-09-2024 17:56:47
(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीदभगत सिंह कॉलोनी, अधोईवालादेहरादून,

पत्रांक 488/नि0अ0क0/सू.क.अधि./लोक.सू.अ./2024–25 दिनांक 02 सितंबर, 2024।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. - सचिव, उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग, लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।
3. - मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
4. - प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, देहरादून।
5. - निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।
6. - अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, हज हाउस पिरान कलियर रूड़की हरिद्वार।
7. - सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
8. - जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर।
9. - जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर को छोड़कर अन्य सभी जिले।
10. - संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
11. - गार्ड फाईल।

निदेशक।

363

I/101232/2024

"कार्यालय ज्ञाप"

शासनादेश संख्या–I/4222/2022 MWS-A/15/100/2022-XVII-B-1 दिनांक 13.06.2022 में दिये गये निर्देशों एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) (2) तथा 19 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण स्तर पर पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–752 / नि0अ0क0 / सू0क0अधि0 / लोक0सू0अ0 / 2023 दिनांक 09.10.2023 को अधिक्रमित करते हुए, श्री सुनील ढौंडियाल, प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण को अग्रेत्तर आदेशों तक के लिए एतद्द्वारा लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

2. श्री सुनील ढौंडियाल द्वारा उपरोक्तानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार समयान्तर्गत निस्तारण किया जाएगा।

Signed by Rajendra Kumar
Date: 31-07-2024 12:34:05

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

पत्र संख्या:380 / नि.अ.क. / सू.क.अधि / लो.सू.अधि.–27 / 2024–25 दिनांक 31 जुलाई, 2024

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग, लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, देहरादून।
5. निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।
6. अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, हज हाउस पिरान कलियर रूड़की हरिद्वार।
7. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर को छोड़कर अन्य सभी जिले।
10. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
11. गार्ड फाईल।

निदेशक।

(44)

362

024

स्थानान्तरण आदेश

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून स्तर पर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 24.06.2024 में की गयी संस्तुति एवं कु. पुष्पा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वेतनक्रम रू. 53100–167800 लेवल–9 निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा प्रस्तुत अपने विकल्प पत्र के आधार पर उन्हें एतदद्वारा समान पद एवं वेतनमान में कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार में अनिवार्य स्थानान्तरण श्रेणी के अन्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है।

2. कु. पुष्पा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल स्थानान्तरित कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। कु. पुष्पा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अपने पटल से संबंधित समस्त प्रभार श्री सुनील ढौंडियाल, प्रशासनिक अधिकारी को हस्तगत करायेंगी।

Signed by Rajendra Kumar
Date: 27-06-2024 17:23:00

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 248 /नि.अ.क./स्था.–3/ई–18964/2024–25 दिनांक 28 जून, 2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित अधिकारी।
6. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल।

निदेशक।

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश संख्याः–556/xxxi(15)G/25-34(सा0)/2017, दिनांक 15.04.2025 के द्वारा राजकीय कार्यालयों में लागू बायोमैट्रिक प्रणाली का अनुपालन शत– प्रतिशत किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2. उपरोक्त के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के समस्त अधिष्ठानों के अधिकारियो/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है, अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रयोजन हेतु श्री सुनील ढौंडियाल, प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी भी नामित किया जाता है। समस्त अधिष्ठान बायोमैट्रिक उपस्थिति की सूचना अपने मन्तव्य के साथ प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और नोडल अधिकारी द्वारा तद्नुसार वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों अवगत कराया जाएगा।

Digitally signed by
Rajendra Kumar
Date: 22-04-2025
17:51:16

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड।

(अल्पसंख्यक कल्याण भवन, अधोईवाला, देहरादून)

पत्रांक 55/निअक/स्था0/ई–10474/2025–26 दिनांक 23 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ।
2. निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।
3. अधिशासी अधिरी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान कलियर, हरिद्वार।
4. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. श्री सुनील ढौंडियाल, प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त अधिकारी/कार्मिक निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण को अनुपालनार्थ।
9. गार्ड फाईल।

निदेशक।

29/04/24

2024

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून।

नियुक्ति आदेश

सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–615/06/ई–05/डी.आर/सहा. लेखा/2022–23 दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 में की गयी संस्तुति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के सी.वी.आर न0 1112 दिनांक 09.01.24 की सत्यापन आख्या एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार की आख्या दिनांक 23.01.2024 के क्रम में श्री रंजीत कुमार, (श्रेणी–अनुसूचित जाति) रोल न0 116907 पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार पता–ग्राम भंगेड़ी महावतपुर, पोस्ट मिलाप नगर रूड़की, जिला हरिद्वार–247666 उत्तराखण्ड को निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून में सहायक लेखाकार, के पद वेतनमान ₹29200-92300 लेवल 5(1) में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।
3. नियुक्ति के उपरान्त श्री रंजीत कुमार, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगें।
4. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी, इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्राभत्ता देय नहीं होगा। योगदान प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–
   (1) हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट/स्नातक उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
   (2) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो आपको भली–भाँति जानते हो, किन्तु सम्बन्धी ना हों।
   (3) मुख्य चिकित्साधिकारी, द्वारा देय स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   (4) संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण–पत्र।
   (5) अविवाहित/विवाहित सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।
   (6) चल–अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।
   (7) यदि विवाहित हों तो एक जीवित पति/पत्नी संबंधी घोषणा पत्र।
   (8) आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र।
5. श्री रंजीत कुमार, को आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर उपरोक्त वांच्छित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के साथ निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून में योगदान किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक योगदान न किये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. उपरोक्त वांछित अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

Signed by Rajendra Kumar
Date: 02-02-2024 13:19:35

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून।

संख्या– 1147 /नि.अ.क./व्य.प–ई–45079/स्था.–3/2023–24 दिनांक 02 फरवरी, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. श्री रंजीत कुमार रोल न0 116907 पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, पता–ग्राम भंगेड़ी महावतपुर, पता–पोस्ट मिलाप नगर रूड़की, जिला हरिद्वार–247666 को अनुपालनार्थ।
5. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल।

158367/2024

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड

शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून।

नियुक्ति आदेश

सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–615/06/ई–05/डी.आर/सहा. लेखा/2022–23 दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 में की गयी संस्तुति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के सी.वी.आर न0 3068/23 दिनांक 05.01.24 की सत्यापन आख्या एवं जिलाधिकारी, देहरादून सी.वी.आर न0 117/24 दिनांक 27.01.2024 के क्रम में श्री ईशान चावला, (श्रेणी–सामान्य) रोल न0 117295 पुत्र श्री मनोज चावला पता–563, हनुमंत पुरम, गली न.–1, गंगा नगर ऋषिकेश, देहरादून पिन–249201 उत्तराखण्ड को निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून में सहायक लेखाकार, के पद वेतनमान ₹29200-92300 लेवल 5(1) में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।
3. नियुक्ति के उपरान्त श्री ईशान चावला, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगें।
4. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी, इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्राभत्ता देय नहीं होगा। योगदान प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगें:–
   (1) हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट/स्नातक उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
   (2) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो आपको भली–भाँति जानते हो, किन्तु सम्बन्धी ना हों।
   (3) मुख्य चिकित्साधिकारी, द्वारा देय स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   (4) संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण–पत्र।
   (5) अविवाहित/विवाहित सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।
   (6) चल–अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।
   (7) यदि विवाहित हों तो एक जीवित पति/पत्नी संबंधी घोषणा पत्र।
5. श्री ईशान चावला, को आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर उपरोक्त वांछित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के साथ निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून में योगदान किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक योगदान न किये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. उपरोक्त वांछित अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

Signed by Rajendra Kumar
Date: 02-02-2024 13:20:35

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1148 /नि.अ.क./व्य.प–ई–45004/स्था.–3/2023–24 दिनांक 02 फरवरी, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. श्री ईशान चावला, रोल न0 117295 पुत्र श्री मनोज चावला पता–563, हनुमंत पुरम, गली न.–1, गंगा नगर ऋषिकेश, देहरादून पिन–249201 उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
5. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल।

निदेशक।

(48)